



कार्यालय, महाप्रबंधक (कार्मिक), आरेडिका, रायबरेली—229120

NOTE

विषय: गति शक्ति विश्वविद्यालय (जी एस बी) का संचालन-भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी (एन ए

आई आर) में अराजपत्रित कर्मचारियों/पदों का पुनःआबंटन।

संदर्भ : रेलवे बोर्ड पत्र संख्या- ई (एन जी)/2025/डी पी /09(ई-3499406) दिनांक-13.06.2025 .

उपरोक्त संदर्भित पत्र इस पत्र के साथ संलग्न कर आपके अवलोकन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संगलक :- उपरोक्त

सं. ई/एमसीएफ/आरबीएल/पॉलिसी/पार्ट-॥(पार्ट)

दिनांक: 18.06.2025

सहायक कार्मिक अधिकारी /स्टाफ

कृते महाप्रबंधक (कार्मिक)

प्रतिलिपि: सादर सूचनार्थ:

- 1. सचिव महाप्रबंधक, आरेडिका, रायबरेली
- 2. समस्त प्रधान विभागाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/उपविभागाध्यक्ष, आरेडिका,रायबरेली ।
- 3. जनरल सेक्रेटरी,ओबीसी & एससी/एसटी एसोसिएशन आरेडिका,रायबरेली।
- 4. मुख्य कार्यालय अधीक्षक/अराज-।, ॥ & ॥।, मुख्य कार्यालय अधीक्षक /समन्यव & सभी डीलर /कार्मिक शाखा, आरेडिका,रायबरेली।
- 5. सभी नोटिस बोर्ड, आरेडिका, रायबरेली।
- 6. निजी सचिव /पीसीपीओ को एमसीएफ वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA रेलमंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS रेलवेबोर्ड/(RAILWAY BOARD)

No. E(NG)I/2025/DP/09(E-3499406)

New Delhi, dated 13.06.2025

The General Manager(P), All Indian Railways & PUs.

Sub: Operationalization of Gati Shakti Vishwavidyalaya (GSV) - Reallocation of Non-Gazetted (NG) Staff/Posts at National Academy of Indian Railways (NAIR).

Gati Shakti Vishwavidyalaya (GSV), a Central University, has been set up under the aegis of the Ministry of Railways, which has been functioning from the Pratap Vilas Campus at Vadodara. To support the growth and development of GSV, it has been decided by the Board to reallocate various functions of NAIR.

2. Accordingly, the following decisions have been taken regarding the Non-Gazetted staff and posts of NAIR:

(i) Redeployment/Transfer of Non-Gazetted Posts of NAIR:

- (a) The on-roll Non-Gazetted staff (who hold a lien with NAIR), will be transferred to the Vadodara Division of Western Railway, along with posts of cadre of NAIR. The Division may assign duties to these incumbents as per administrative requirements and considering the preferences expressed by the staff. The cadre will be managed by Vadodara Division. Further, the posts on vacation shall be transferred back to the IR-GSV coordination cell under ED/training/Railway Board by the Vadodara Division.
- (b) Incumbents holding Non-Gazetted posts at NAIR but having a lien in other units (i.e., not NAIR) will be transferred/repatriated to their respective parent units.
- (c) All sanctioned TADK posts of NAIR, all vacant Non-Gazetted posts of NAIR cadre as well as those that will fall vacant following the transfers mentioned in (b) above, and those falling vacant subsequently as mentioned in (a) above, will remain under the control of the IR-GSV Coordination Cell until further orders.
- (ii) Operationalisation of the IR-GSV Coordination Cell at Vadodara:

Staff, along with the posts, if required, will be deployed by Vadodara Division in the newly established IR-GSV Coordination Cell, Vadodara, under the Executive Director (Training), Railway Board. Separate orders regarding this deployment will be issued in due course.

The accountal of posts of NAIR will be kept by IR-GSV Cell.

4. It has also been decided that following the above re-allocations, all activities previously carried out by NAIR staff including maintenance of service records, APARs, RTI matters, court cases, settlement and pensions etc., along with functions related to associate finance and personnel, will now be managed by the Vadodara Division. The divisional administration will also serve as the custodian of all official records, including those related to pensioners.

Necessary action may be taken accordingly.

Please acknowledge the receipt.

Hindi version will follow.

(Usha Chattopadhyay) Joint Director/Estt.(N) Railway Board Ph. No.47475/011-23307475

No. E(NG)I/2025/DP/09(E-3499406)

New Delhi, dated 13.06.2025

Copy forwarded to:-

- 1. The General Secretary, AIRF, Room No.253, Rail Bhawan, New Delhi (35 copies).
- 2. The General Secretary, NFIR, Room No.256-E, Rail Bhawan, New Delhi (35 copies).
- 3. All Members/Departmental Council & National Council & Secretary/Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (60 spares).
- 4. The Secretary General, FROA, Room No.256-A, Rail Bhawan, New Delhi (5 spares).
- 5. The Secretary General, IRPOF, Room No.268, Rail Bhawan, New Delhi (5 spares).
- 6. The Secretary, RBSS Group 'A' Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
- 7. The Secretary, RBSS Group 'B' Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
- 8. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association, Rail Bhawan, New Delhi.
- 9. The Secretary, Railway Board Group 'D' Employees Association, Rail Bhawan, New Delhi.
- 10. The Secretary, Railway Board Promotee Officers Association, Room No.341-C, Rail Bhawan, New Delhi.
- 11. Chief Commissioner of Railway Safety, Lucknow.
- 12. General Secretary, All India SC&ST Railway Employees Association, Rail Bhawan, New Delhi.

for PED(IR) Railway Board

Advisor/MR, PS/MoSR(R), MoSR (S), EDPG/MR, OSD/MR, OSD/Coord/MR
PSO to Chairman & CEO, M(F), M(Infra), M(T&RS), M(O&BD), Secretary, DG/RHS and DG/RPF.

PPSs to AM(Comml.), AM(CE), AM(C&IS), AM(Elec.), AM(Budget), AM(F), AM(Mech.), AM(Plg.), AM(Project), AM(PU), AM(Sig.), AM(Stores), AM(Tele), AM(Traffic), AM(Works), AM(T&C), AM(Staff), AM(HR), PED(Vig.) and PED(Infra.).

PSs to ED/Safety(M), EDCE(G), ED(E&R), EDE, EDE(N), EDME(W), EDERS(G), EDE(Res.), EDE(RRB), EDF(B), ED(RE), ED/Track(M), EDF(X)I, EDF(X)II, ED(H), EDE(GC), ED(Stat), ED(Track/MC), EDME(Chg.), EDME(Traction), ED(Works), EDME(Dev.), EDRS(C), EDRS(W), EDPC, EDF(E), EDA, EDV(A), JS(G) and IG/RPF.

DPC-II, DE(G), D(IH), D(H&FW), D(MPP), DE(N)II, DE(R), DE(D&A), DE(LL), JD(OL), JDE(Rep), JDE(RRB), DD(Code Revision), DDE(LR)I, DDE(LR)II, DDE(LR)III, DDV(A&P), DD(OL)I, E(NG)II, E(Rep)I, E(Rep)II, E(Rep)III, E(SCT)I, E(SCT) II, E(RRB), PC-III, PC-IV, PC-V, E(P&A)I, E(P&A)II, CE-I, CE-II, CE-III, Sec.(E), Sec.(ABE), E(MPP), Safety Branch, A/C-III and Code Revision Cell.

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS रेलवे बोर्ड/(RAILWAY BOARD)

सं. ई(एनजी)1/2025/डीपी/09(ई-3499406)

नई दिल्ली दिनांक 13.06.2025

महाप्रबंधक (कार्मिक) सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां

विषय: गति शक्ति विश्वविद्यालय (जीएसवी) का संचालन–भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी (एनएआईआर) में अराजपत्रित कर्मचारियों/पदों का पुनर्आबंटन।

रेल मंत्रालय के तत्वावधान में, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, गित शक्ति विश्वविद्यालय (जीएसवी), की स्थापना की गयी है, जो बडोदरा में स्थित प्रताप विलास परिसर से कार्य कर रहा है। जीएसवी के विकास और प्रगित को प्रोत्साहन देने के लिए, बोर्ड द्वारा एनएआईआर के विभिन्न कार्यों को पुनः आबंटित करने का निर्णय लिया गया है।

- 2. तदनुसार, एनएआईआर के अराजपत्रित कर्मचारियों और पदों के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं:
 - (i) एनएआईआर के अराजपत्रित पदों की पुनःतैनाती/स्थानांतरण:
 - (क) ऑन-रोल अराजपत्रित कर्मचारी (जो एनएआईआर के साथ ग्रहणाधिकार रखते हैं), एनएआईआर के संवर्ग के पदों के साथ पश्चिमी रेलवे के वडोदरा मण्डल में स्थानांतरित किए जाएंगे। मण्डल, प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार और कर्मचारियों द्वारा व्यक्त की गई प्राथमिकताओं पर विचार करते हुए इन पदाधिकारियों को कार्य सौंप सकता है। संवर्ग का प्रबंधन वडोदरा मण्डल द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा, रिक्त पदों को वडोदरा मण्डल द्वारा कार्यपालक निदेशक/प्रशिक्षण/रेलवे बोर्ड के अधीन भारतीय रेल-गित शक्ति विश्वविद्यालय समन्वय सेल को वापस स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
 - (ख) एनएआईआर में अराजपत्रित पद धारण करने वाले लेकिन अन्य इकाइयों (अर्थात एनएआईआर में नहीं) में ग्रहणाधिकार रखने वाले पदाधिकारियों को उनकी संबंधित मूल इकाइयों में स्थानांतरित/प्रत्यावर्तित किया जाएगा।
 - (ग) एनएआईआर के सभी स्वीकृत टीएडीके पद, एनएआईआर संवर्ग के सभी रिक्त अराजपत्रित पद तथा उपरोक्त (ख) में उल्लिखित स्थानांतरण के बाद रिक्त होने वाले पद, तथा उपरोक्त (क) में उल्लिखित बाद में रिक्त होने वाले पद, अगले आदेश तक भारतीय रेल-गति शक्ति विश्वविद्यालय समन्वय सेल (आईआर-जीएसवी) के नियंत्रणाधीन होंगे।
 - (ii) वडोदरा में भारतीय रेल-गति शक्ति विश्वविद्यालय समन्वय सेल का संचालन:

यदि आवश्यक हुआ तो कर्मचारियों को पदों सहित कार्यपालक निदेशक (प्रशिक्षण), रेलवे बोर्ड के अधीन नव स्थापित भारतीय रेल-गति शक्ति विश्वविद्यालय समन्वय सेल, वडोदरा में वडोदरा मंडल द्वारा तैनात किया जाएगा।

 भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी के पदों का लेखा-जोखा भारतीय रेल-गित शक्ति विश्वविद्यालय सेल द्वारा रखा जाएगा। 4. यह भी निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त पुनर्आबंटन के पश्चात, सेवा रिकॉर्डों के रख-रखाव, एपीएआर, आरटीआई मामले, अदालती मामले, निपटान और पेंशन आदि सहित भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी के कर्मचारियों द्वारा पूर्व में की जाने वाली सभी गतिविधियों, के साथ सह-वित्त और कार्मिक से संबंधित कार्य अब वडोदरा मंडल द्वारा प्रबंधित किए जाएंगे। मंडलीय प्रशासन पेंशनभोगियों से संबंधित अभिलेखों सहित सभी आधिकारिक अभिलेखों के संरक्षक के रूप में भी कार्य करेगा।

तदनुसार <mark>आवश्यक कार्रवाई की जाए।</mark> कृपया पावती दें।

3धा

(उषा चट्टोपाध्याय) संयुक्त निदेशक/स्थापना (अराजपत्रित) रेलवे बोर्ड

टेलीफोन नं. : 47475/011-23307475

सं. ई(एनजी)1/2025/डीपी/09(ई-3499406)

नई दिल्ली दिनांक 13.06.2025

प्रतिलिपि अग्रेषित:

- 1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियों सहित)।
- 2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियों सहित)।
- 3. विभागीय एवं राष्ट्रीय परिषद, परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद,13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (60 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
- 4. सेक्रेटरी जनरल, फ्रोआ, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
- 5. सेक्रेटरी जनरल, आईआरपीओएफ, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
- 6. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 7. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 8. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्टीरीयल स्टाफ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 9. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'डी' इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 10. सेक्रेटरी, रेलवे बोर्ड प्रमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 11. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ।
- 12. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।

कृते प्रधान कार्यपालक निदेशक (औद्योगिक संबंध)/रेलवे बोर्ड